बिहार सरकार
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. कार्यों की विवरणीः– सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वतंत्रता दिवस, 2026 के अवसर पर पटना के गाँधी मैदान में "सहयोग शिविर" विषय पर झाँकी का निर्माण एवं प्रदर्शन संबंधी सम्पूर्ण कार्य।

1. महत्वपूर्ण तिथियाँः–

i.	विज्ञापन निर्गत करने की तिथि	दिनांकः–29.07.2026
ii.	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांकः–05.08.2026 समय11:00 बजे पूर्वा0 तक।
iii.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांकः–05.08.2026 समय 11:00 बजे पूर्वा0 तक।
iv.	प्रस्तुतीकरण की तिथि एवं समय	दिनांकः–05.08.2026 समय 03:00 बजे अप0 तक।
v.	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांकः–06.08.2026 समय 11:00 बजे पूर्वा0 तक।
vi.	निविदा खोलने का स्थान	सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, सूचना भवन स्थित प्रथम तल पर संवाद कक्ष में।
vii.	सम्पर्क पदाधिकारी	उप निदेशक (प्रदर्शनी)/नोडल पदाधिकारी, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, प्रथम तल, सूचना भवन, नेहरू पथ, पटना–800015 (बिहार)।

2. विस्तृत जानकारी सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के वेबसाइटः–state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

निदेशक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

स्वतंत्रता दिवस, 2026 के अवसर पर पटना के गाँधी मैदान में सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, पटना की ओर से **"सहयोग शिविर"** विषय पर झांकी प्रदर्शन हेतु ख्याति प्राप्त फर्म/संस्था/प्रतिष्ठान से दिनांक–05.08.2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक निम्न शर्तों के साथ अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

निविदा की शर्तः–

1. एजेन्सी द्वारा समर्पित डिजाईन के अनुरुप **"सहयोग शिविर"** विषय पर झांकी का निर्माण एवं प्रदर्शन विभागीय नोडल पदाधिकारी की देख–रेख एवं मार्गदर्शन में निर्धारित समय पर करना होगा।
2. झाँकी प्रदर्शन होने तक झाँकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबधित फर्म/संस्था/प्रतिष्ठान की होगी, अतएव प्रदर्शनी की अवधि में किसी टूट–फूट, कमी अथवा प्रदर्शनी में किसी वजह से विफलता की स्थिति में नियमानुसार समानुपातिक कटौती की जाएगी।
3. झाँकी के उपरांत साल्वेज संबंधित फर्म/संस्था/प्रतिष्ठान का होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखकर समेकित एक दर (सभी कर एवं खर्च सहित) स्पष्ट रूप से निविदा में अंकित किया जायेगा।
4. झाँकी का निर्माण विभागीय निदेशानुसार नोडल पदाधिकारी की देख–रेख में करना होगा।
5. झाकी में भाग लेने वाले कलाकार, उनके परिधान, म्यूजिक, म्यूजिक सिस्टम, हर तरह के डेकोरेशन, साईनेज बोर्ड तथा झाँकी से जुड़े हर तरह के उपादान/उपकरण/उपस्करादि तथा झांकी विषयक परिचयात्मक आकर्षक 500 (पाँच सौ) फोल्डर तथा कार्यक्रम की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफ आदि की व्यवस्था करनी होगी, जिसके लिए अलग से कोई राशि अनुमान्य नहीं होगी।
6. झांकी के प्रदर्शन में भाग लेने वाले सभी कलाकारों का नाम, पता, आदि एवं फोटोग्राफ उचित माध्यम से जिला प्रशासन को ससमय सुलभ कराते हुए पहचान पत्र तैयार करा लेने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। झाँकी में भाग लेने वाले कलाकारों का चरित्र प्रमाण–पत्र जिला प्रशासन एवं विभाग को उपलब्ध कराने का दायित्व एजेन्सी का होगा।
7. एतद्संबंधी कोई अग्रिम अनुमान्य नहीं होगा।
8. निविदा में सम्पूर्ण कार्य की दर (सभी कर एवं खर्च सहित) स्पष्ट रुप से अंकित होनी चाहिए। कुल लागत के मूल्य पर न्यूनतम दर निर्धारित कर संस्था/निविदादाता का चयन किया जायगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी को तात्कालिक जरूरतों के मुताबिक कुछ आवश्यक परिवर्तित एवं जरूरत योग्य कार्य भी करने होंगे।
10. निविदादाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग लिफाफों में भरकर उसे सीलबंद कर एक बड़े लिफाफे में डालकर सीलबंद किया जायेगा। निविदा को सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग में निविदा हेतु निर्धारित समय के अन्दर जमा करना होगा।
11. उपर्युक्त सभी शर्तों एवं उपबंधों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी एक भी शर्त/उपबंध को किसी समय पूरा नहीं करने की स्थिति में उक्त निविदा को रद्द करते हुए संबंधित निविदादाता/एजेन्सी के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है।
12. झाँकी के उपरांत इससे संबंधित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफ्स दो पेन ड्राईव में देनी होगी एवं प्रदर्शनी संबंधी प्रमाण पत्र जो नोडल पदाधिकारी से अनुमोदित हो कार्यक्रम–समाप्ति के एक महीने के भीतर विपत्र सहित समर्पित करना होगा।

13. झाँकी के निर्माण एवं प्रदर्शन आदि से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी कार्यालय अवधि में किसी कार्य दिवस को उप निदेशक (प्रदर्शनी)/नोडल पदाधिकारी, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

14. बिहार में अवस्थित एवं संचालित तथा "उद्यम" निबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई/स्टार्ट अप (जैसा कि बिहार स्टार्ट अप नीति, 2022 यथा समय–समय पर संशोधित, में परिभाषित) को नियमानुसार बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 के अन्तर्गतः–
   i. अग्रधन जमा करने से छूट रहेगी।
   ii. निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) का 50% राशि ही जमा करनी होगी। परन्तु छूट पाने के लिए निविदादाता फर्म संस्था को उक्त इकाई का रजिस्ट्रेशन, आधार उद्योग न० चालू स्थिति एवं अन्य संबंधित प्रमाण–पत्र जो समक्ष प्राधिकार से निर्गत हो, की प्रति संलग्न करना होगा।

15. बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 के अन्तर्गत सेवा की खरीद के मामले में नियम–11 (1) एवं 11 (2) के अनुसार मापदण्डों को पूरा करने वाले "स्थानीय उद्यम" को अधिमानता दी जायेगी। इसके लिए संबंधित निविदादाता फर्म/संस्था को नियम–11 (1) में वर्णित मापदण्डों को पूरा करने से संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों जो सक्षम प्राधिकार से निर्गत हो संलग्न करना होगा। कार्यादेश प्राप्त करने के बाद वे बिना किसी समुचित कारण के सेवाओं की आपूर्ति में असफल रहते हैं, तो यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें काली सूची में डाल दिया जायेगा (As Per Rule-11 of Bihar Purchase Preference Policy 2024) ।

16. सेवा की खरीद के लिए खरीद अधिमानताः–
   i. सेवा की खरीद के मामलों में निम्नलिखित मापदण्डों को पूरा करने वाले "स्थानीय उद्यम" को अधिमानता दी जायेगीः–
      (क) उसे बिहार राज्य में निबंधित (राज्य वस्तु एवं सेवा कर निबंधन सहित) एवं राज्य में कार्यालय की मौजूदगी वाली इकाई होना चाहिए,
      (ख) उसे बोली प्रकाशन की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष पूर्व की अवधि से राज्य में कार्यरत होना चाहिए।
      (ग) उसे बोली प्रकाशन की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष पूर्व की अवधि का वस्तु एवं राज्य सेवा कर विवरणी दाखिल एवं वस्तु एवं कर भुगतान करने वाला होना चाहिए,
      (घ) बोली प्रकाशन की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष पूर्व की अवधि में उसके द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत सृजित कुल रोजगार में 50% स्थानीय लोग शामिल होने चाहिए, और
      (ड़) उसको दी गयी संविदा के न्यूनतम 50% मूल्य की सेवा (बीजक के आधार पर) राज्य में निबंधित कार्यालय द्वारा निष्पादित की जायेगी।

अपवर्जनः
   (क) उन उच्च तकनीकी या जटिल प्रकृति की सेवाओं की मामले में, जिनके लिए निपुण व्यक्तियों को राज्य के बाहर से लाने की जरूरत हो, ऊपर वर्णित प्रावधान लागू नहीं होंगे।
   (ख) अपने लिए जरूरी सेवा की गुणवता तय करने के लिए क्रेता इकाई जिम्मेवार होगी और ऊपर वर्णित प्रावधान इसी के अनुरूप लागू होगा।

टिप्पणीः–यह अपवर्जन उन सेवाओं के लिए लागू नहीं होगा जो गैर–तकनीकी प्रकृति की होंगी।

(2) ऊपर के उप–कंडिका 7 (2) में वर्णित सेवाओं के अलावे, सेवा की खरीद में, जिनके लिए बोली का मूल्यांकन केवल मूल्य के आधार पर किया जाता है, "स्थानीय उद्यम"को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार "गैर–स्थानीय उद्यम" की तुलना में खरीद अधिमानता मिलेगी।
   (क) योग्य पाई गई सभी बोलियों में से न्यूनतम बोली को L-1 कहा जाएगा। अगर L-1 "स्थानीय उद्यम" हो तो L-1 बोलीदाता को पूरी संविदा प्रदान की जाएगी।

(ख) अगर L-1 कोई "गैर–स्थानीय उद्यम" हो तो खरीद अधिमानता की मार्जिन के अंतर्गत आने और सबसे कम मूल्य प्रस्तावित करने वाले "स्थानीय उद्यम" को L-1 के कीमत से बराबरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और L-1 की कीमत के बराबर होने की स्थिति में ऐसे "स्थानीय उद्यम" को पूरी मात्रा के लिए संविदा प्रदान की जाएगी।

(ग) अगर ऐसा न्यूनतम बोलीदाता पात्र "स्थानीय उद्यम" L-1 के कीमत की बराबरी नहीं कर पाता है, तो खरीद अधिमानता की मार्जिन के अंतर्गत आने वाले अन्य "स्थानीय उद्यम" को L-1 की कीमत से बराबरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और संविदा इसी के अनुरूप प्रदान की जाएगी। अगर खरीद अधिमानता की मार्जिन के अंतर्गत आने वाला कोई भी "स्थानीय उद्यम" L-1 के कीमत की बराबरी नहीं कर पाता है, तो संविदा L-1 बोलीदाता को प्रदान की जाएगी।

तकनीकी निविदा की शर्त्तः–

1. निविदादाता द्वारा निम्न कागजातों को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। सभी कागजात स्व–अभिप्रमाणित होने चाहिए।
   i. पैन कार्ड की छायाप्रति एवं विगत तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष–2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) का आयकर रिटर्न की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।
   ii. जी0एस0टी0 निबंधन की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।
   iii. कन्करेन्ट ऑडिटर (सी0ए0) द्वारा निर्गत विगत तीन वर्षों का ₹25,00,000/– (पचीस लाख) या अधिक का औसत टर्नओवर संबंधी कागजात। सम्वर्ती अंकेक्षक (सी0ए0) द्वारा ऑडिटेड बैलेंस शीट एवं प्रॉफिट–लॉस स्टेटमेन्ट की छायाप्रति भी संलग्न किया जाना होगा।
   iv. सैम्पल डिजाईन कार्य से संबंधित कागजात संलग्न करना होगा।
   v. निविदादता द्वारा निविदा के साथ ₹10,000/– (दस हजार) रुपये मात्र का डी0डी0/बैंकर्स चेक Earnest Money के रूप में दिया जाना अनिवार्य होगा। जो निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के नाम से होना चाहिए। असफल निविदादाता का EMD निविदा प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा।
   vi. निविदादाता को पिछले पाँच वर्षों में किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग/निगम/निकाय का झाँकी निर्माण से संबंधित अनुभव प्रमाण–पत्र/कम्पलीशन सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा।
   vii. निविदादाता को किसी भी सरकारी विभाग/अर्द्ध सरकारी संस्थान, निगम, निकाय, समिति द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने एवं किसी भी तरह के केस–मुकदमे में संलिप्त/वाद लंबित न होने से संबंधित स्व–घोषणा पत्र संलग्न करना होगा।
   viii. उपरोक्त सभी तकनीकी शर्त्तों को पूरा करने वाले निविदादाताओं का तकनीकी प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

Criteria	Marks	Max. Marks	Supporting Document
Bidder who scores a minimum of 60% of the total marks will proceed for Financial evaluation			
A. Organizational Experience/Projects Experience- 60 Marks			
The Bidder should have successfully provided at least 1 Tableau during the last Five Financial Years-F.Y 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 and 2024-25 for Independence Day/Republic Day Parade for Central Government, State Government, UT Government, PSU or Centre/ State Government Organization.	• 2 Tableau -10 Marks • 3 Tableau -15 Marks • 4 or more Tableau -20 Marks	20	Documentary evidence, along with client contact details, in the form of Work Order/ satisfactory work completion certificate (if asked for)

Average Annual turnover in the last 3 audited F. Y. - 2022-23, 2023-24 and 2024-25	**Average Turnover:** • **25 Lacs to 50 Lacs-15 marks** • **above 50 Lacs-20 Mark**	20	1) Audited Profit and Loss Statement and Balance Sheets. 1) Statutory Auditor Certificate from the Company Secretary/ Chartered Accountant of the Bidder clearly specifying the turnover from the event management business for the Specified years
Award	• Company/agency awarded one 1st prize at State/National Level- 10 Marks • Company/agency awarded 1st prize at State/National Level for 2 times - 15 Marks • Company/agency awarded 1st prize at State/National Level for 3 Times- 20 Marks	20	
B. Technical Presentation- 40 Marks			
Technical Presentation	• Understanding of the work domain-5 Marks • Concept and Presentation with Detailed Designs-5 Marks • Design Sketch-10 Marks • Best Creative Idea-15 Marks • Approach with demonstration-5 Marks	40	Technical Presentation on parameters to be evaluated.

N.B: Only those Bidders who's absolute Technical Score is 60% or more shall be considered by the Information & Public Relations Department for further evaluation. In addition, Evaluations will be based on documentary evidence submitted by the Bidders/ Applicants and presentation before the Information & Public Relations Department.

2. In very unusual circumstances, the tender committee may relax the minimum Technical Score percentage.

The financial Bid of those agencies will be opened which qualify the technical bid.

Bidders should score minimum of 60% and submit all the relevant documents to be shortlisted for the financial bid opening.

Information & Public Relations Department reserves the right to cross verify the documents/ credentials with the bidder. The documents submitted by the bidder should clearly depict the credentials/criteria's required, filing which the documents shall not be considered for evaluation.

वित्तीय निविदा की शर्त्तः–

i. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

ii. वित्तीय निविदा में जिस निविदादाता का मूल्य (सभी कर एवं खर्च सहित) सबसे कम होगा, उसे सफल निविदादाता (L-1) चुना जायेगा।

iii. यदि L-1 चुने जाने के बाद निविदादाता किसी कारण से कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं या इनकार करते हैं, तो उन्हें काली सूची में डाले जाने की कार्रवाई की जायेगी तथा L-1 निविदादाता के दर पर ही कार्य करने हेतु क्रमशः L-2, L-3 आदि को प्राथमिकता के आधार पर आमंत्रित किया जायेगा।

निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/रद्द करने का सर्वाधिकार निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को होगा।

विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

(अनिल कुमार)
निदेशक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–1572 सू0ज0स0वि0, बिहार, पटना, दिनांक–28/07/26

प्रतिलिपिः–संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (प्रिंट विज्ञापन निर्गम)/उप निदेशक (झाँकी)/नोडल पदाधिकारी, सूचना भवन, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को विभागीय सूचना पट पर चिपकाने/आई0टी0 मैनेजर, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार)
निदेशक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।